बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/विविध 1–02/2020– पटना, दिनांक– / /2025

डा० गणेश चन्द्र कर्ण, अधीक्षक, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर को दिनांक–**20.06.2025 से 15.07.2025** तक की अवधि में विदेश (यू०एस०ए०) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. **डा० कर्ण** विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नही करेंगे।
3. **डा० कर्ण** इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
4. **डा० कर्ण** विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
5. **डा० कर्ण** को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
6. **डा० कर्ण** विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/विविध 1–02/2020– 563(17) **/पटना, दिनांक–** 02/06 **/2025**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर / डा० गणेश चन्द्र कर्ण, अधीक्षक, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 02/06/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Roumish sir /Passport